

फर्रुखाबाद जनपद में ग्रामीण स्वरोजगार योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन: एक

सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण

राजकुमार साहू¹, डॉ. संजीव कुमार²

¹ संशोधक विद्यार्थी, अर्थशास्त्र विभाग

मेजर एस. डी सिंह युनिवर्सिटी फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

² सहायक प्रोफेसर एवं संशोधन मार्गदर्शक, अर्थशास्त्र विभाग

मेजर एस. डी सिंह युनिवर्सिटी फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author - राजकुमार साहू

DOI - 10.5281/zenodo.15488846

सारांश :

ग्रामीण भारत की आर्थिक संरचना को सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार द्वारा अनेक स्वरोजगार योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिनका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना, आय में वृद्धि लाना, तथा समाज के वंचित वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य फर्रुखाबाद जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित प्रमुख स्वरोजगार योजनाओं— जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मनरेगा, मुद्रा योजना, और स्वयं सहायता समूह आधारित कार्यक्रमों—की प्रभावशीलता का सामाजिक-आर्थिक स्तर पर मूल्यांकन करना है। इस अध्ययन में मात्रात्मक अनुसंधान पद्धति का प्रयोग करते हुए 200 ग्रामीण लाभार्थियों से एकत्रित आँकड़ों का विश्लेषण किया गया। परिणामों से ज्ञात हुआ कि स्वरोजगार योजनाओं ने लाभार्थियों की आय में वृद्धि की है, विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में योजनाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। साथ ही, यह भी स्पष्ट हुआ कि योजनाओं की सफलता में प्रशिक्षण, जानकारी की उपलब्धता, और प्रशासनिक पारदर्शिता की अहम भूमिका है। यद्यपि योजनाओं का व्यापक प्रभाव देखा गया, फिर भी भ्रष्टाचार, दस्तावेजी जटिलताएँ, और जागरूकता की कमी जैसी समस्याएँ योजनाओं की प्रभावशीलता में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। इस शोध से प्राप्त निष्कर्ष नीति निर्धारकों के लिए दिशा-निर्देशक सिद्ध हो सकते हैं ताकि योजनाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समावेशी बनाया जा सके।

मुख्य शब्द: ग्रामीण स्वरोजगार, फर्रुखाबाद, योजनाओं की प्रभावशीलता, सामाजिक-आर्थिक विश्लेषण, महिला सशक्तिकरण, मनरेगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रशिक्षण, ग्रामीण विकास, आर्थिक समावेशना

प्रस्तावना:

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ग्रामीण भारत की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, सरकारों की प्राथमिकताओं में प्रमुख रहा है। आर्थिक समावेशन और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित

करने हेतु भारत सरकार ने विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की शुरुआत की है, जिनका उद्देश्य बेरोजगारों, विशेषकर ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है (मिश्रा, 2021)। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार न केवल रोजगार उपलब्ध कराना चाहती है, बल्कि ग्रामीण समाज में

उद्यमिता की भावना को भी विकसित करना चाहती है (वर्मा, 2019)।

स्वरोजगार योजनाओं में प्रमुख योजनाएँ जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम), स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, और स्वयं सहायता समूह आधारित योजनाएँ उल्लेखनीय हैं। ये योजनाएँ ग्रामीण समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुँचने का प्रयास करती हैं, ताकि समावेशी विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें (सिंह, 2020)। विशेष रूप से मनरेगा जैसी योजना ने ग्रामीण भारत के गरीब परिवारों को एक निश्चित समयावधि तक रोजगार की गारंटी प्रदान कर, उन्हें जीविका चलाने में सहायता दी है (यादव, 2022)।

जनपद फ़र्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जिला है, जहाँ की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है और ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है। यह जनपद उत्तर प्रदेश की उन इकाइयों में से है, जहाँ पर विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रही है। स्वरोजगार योजनाओं का स्थानीय क्रियान्वयन तथा उसका वास्तविक प्रभाव अध्ययन के योग्य विषय है (चौहान, 2018)। फ़र्रुखाबाद जैसे जिले में स्वरोजगार योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन न केवल स्थानीय स्तर पर, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी नीति निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है (तिवारी, 2021)।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार योजनाएँ समाज के पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिला वर्ग को आर्थिक मुख्यधारा में शामिल करने का अवसर प्रदान करती हैं (शुक्ला, 2017)। अनेक शोधों में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी सही समय पर दी जाए, तथा आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, तो लाभार्थियों की आय में

उल्लेखनीय वृद्धि होती है (गोस्वामी, 2020)। यह देखा गया है कि प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थी योजनाओं का अधिक प्रभावी उपयोग कर पाते हैं (कुमारी, 2019)।

आज के समय में स्वरोजगार को केवल एक आय स्रोत के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक सम्मान और आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है (मिश्रा, 2022)। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत स्वरोजगार योजनाओं को केंद्र में रखा गया है ताकि हर नागरिक अपने क्षेत्र में उत्पादन और सेवा के कार्यों में संलग्न हो सके। स्वरोजगार केवल एक वैकल्पिक रोजगार नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान का मूल आधार बन सकता है (राठौर, 2018)।

हालांकि योजनाओं के क्रियान्वयन में विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ भी सामने आती हैं, जैसे— जानकारियों का अभाव, भ्रष्टाचार, दस्तावेजी प्रक्रिया की जटिलता, प्रशिक्षण की अनुपलब्धता आदि (त्रिपाठी, 2020)। यह भी देखा गया है कि अनेक लाभार्थियों को योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता क्योंकि उन्हें पात्रता मानकों की जानकारी नहीं होती या फिर बिचौलियों द्वारा उनका शोषण किया जाता है (गुप्ता, 2021)।

महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में स्वरोजगार योजनाओं की भूमिका विशेष महत्व रखती है। स्वयं सहायता समूहों (Self-Help Groups) के माध्यम से अनेक ग्रामीण महिलाओं ने न केवल घरेलू आय में योगदान देना शुरू किया, बल्कि नेतृत्व कौशल, वित्तीय साक्षरता और सामाजिक सहभागिता में भी सक्रिय भूमिका निभाई (शर्मा, 2019)। इसी प्रकार युवा वर्ग, विशेषकर 26 से 35 वर्ष की आयु के ग्रामीण युवाओं में

स्वरोजगार के प्रति रुचि बढ़ रही है, जिससे उद्यमिता को नई दिशा मिल रही है (पांडे, 2022)।

फ़र्रुखाबाद जनपद की आर्थिक संरचना, सामाजिक संरचना, तथा योजनाओं की पहुँच और सफलता के बीच संबंधों को समझने के लिए एक सशक्त शोध की आवश्यकता है। यह अध्ययन न केवल योजनाओं की उपलब्धता और उपयोगिता को समझने में सहायक होगा, बल्कि लाभार्थियों के दृष्टिकोण से योजनाओं की गुणवत्ता का आकलन भी करेगा।

इस अध्ययन के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता का प्रयास रहेगा कि योजनाओं की वास्तविक पहुँच, प्रशिक्षण की प्रभावशीलता, आय में परिवर्तन, और सामाजिक स्थिति में बदलाव जैसे आयामों का विश्लेषण किया जाए। यह विश्लेषण केवल आँकड़ों पर आधारित नहीं होगा, बल्कि लाभार्थियों के अनुभव और दृष्टिकोण पर भी आधारित होगा।

साहित्य समीक्षा:

भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, वहाँ आर्थिक विकास और सामाजिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया में स्वरोजगार योजनाएँ एक सशक्त साधन के रूप में उभरी हैं। स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से सरकार का उद्देश्य केवल बेरोजगारी कम करना ही नहीं, बल्कि सामाजिक असमानताओं को भी दूर करना है। इस दिशा में विभिन्न विद्वानों ने स्वरोजगार योजनाओं की प्रकृति, उनके कार्यान्वयन, और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का अध्ययन किया है, जो इस शोध को एक सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है।

मिश्रा (2021) के अनुसार, ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में स्वरोजगार योजनाएँ अत्यंत महत्वपूर्ण

भूमिका निभाती हैं। उनके अनुसार, ये योजनाएँ स्थानीय संसाधनों के उपयुक्त उपयोग के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक स्वावलंबन की भावना को प्रोत्साहित करती हैं।

वर्मा (2019) ने प्रधानमंत्री रोजगार योजना का विश्लेषण करते हुए यह पाया कि योजना के माध्यम से युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें लघु उद्योगों की ओर प्रवृत्त किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण बेरोजगारी में गिरावट आई है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि योजना की सफलता largely इसके प्रचार-प्रसार और स्थानीय अधिकारियों की पारदर्शिता पर निर्भर करती है।

सिंह (2020) ने अपने अध्ययन में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए बताया कि स्वरोजगार योजनाओं ने ग्रामीण महिलाओं के आत्मविश्वास, सामाजिक भागीदारी और आय स्तर को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है। उनके अनुसार, जब महिलाओं को स्वावलंबन के अवसर मिलते हैं, तो परिवार और समाज की संपूर्ण आर्थिक स्थिति में सुधार आता है।

यादव (2022) का शोध मनरेगा योजना के इर्द-गिर्द केंद्रित रहा, जिसमें उन्होंने यह पाया कि इस योजना ने गरीब परिवारों को निश्चित रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायित्व और सुरक्षा की भावना उत्पन्न की है। उनके अनुसार, योजना की विशेषता यह है कि यह सीधे ग्राम पंचायतों के माध्यम से लागू होती है जिससे स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित होती है।

चौहान (2018) ने ग्रामीण स्वरोजगार योजनाओं के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों जैसे भ्रष्टाचार, बिचौलियों की भूमिका, और प्रशासनिक उदासीनता को रेखांकित किया। उन्होंने सुझाव दिया कि

योजनाओं की निगरानी और समयबद्ध मूल्यांकन अत्यंत आवश्यक है ताकि इनका लाभ वंचित वर्ग तक पहुँच सके।

तिवारी (2021) ने स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए पाया कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता और अनुकूलता योजना की सफलता में निर्णायक भूमिका निभाती है। उनके अनुसार, बिना प्रशिक्षण के दी गई वित्तीय सहायता का पूर्ण लाभ उठाना संभव नहीं है।

शुक्ला (2017) ने सामाजिक समानता के संदर्भ में स्वरोजगार योजनाओं की उपयोगिता को महत्वपूर्ण माना है। उनका निष्कर्ष यह था कि इन योजनाओं ने जाति और लिंग आधारित भेदभाव को काफी हद तक चुनौती दी है, विशेषकर जब ये योजनाएँ स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लागू की गई हों।

गोस्वामी (2020) ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार की संभावनाओं और चुनौतियों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने पाया कि जहाँ एक ओर ग्रामीण युवाओं में उद्यमिता की प्रवृत्ति बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर ऋण सुविधा, मार्केटिंग, और तकनीकी जानकारी का अभाव एक बड़ी बाधा बनी हुई है।

कुमारी (2019) ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिला उद्यमिता पर जोर देते हुए बताया कि ग्रामीण महिलाओं के बीच समूहगत स्वरोजगार ने सामाजिक बंधनों को तोड़ा है और वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में नए रास्ते खोले हैं।

मिश्रा (2022) ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की पृष्ठभूमि में स्वरोजगार योजनाओं की भूमिका का सैद्धांतिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने यह कहा कि जब तक ग्रामीण जन को स्थानीय स्तर पर रोजगार के

साधन उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक आत्मनिर्भरता का सपना अधूरा रहेगा।

राठौर (2018) ने योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार और नौकरशाही की बाधाओं को उजागर करते हुए लिखा कि बहुत सी योजनाएँ जमीनी स्तर तक पहुँचने से पहले ही दिशाहीन हो जाती हैं। उनके अनुसार, पारदर्शिता, जिम्मेदारी और भागीदारी की त्रिसूत्रीय रणनीति ही इन योजनाओं को सफल बना सकती है।

त्रिपाठी (2020) ने मनरेगा योजना पर किए गए अपने शोध में यह निष्कर्ष निकाला कि यदि योजना को ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुसार ढाला जाए और इसकी निगरानी सशक्त हो, तो यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है।

गुप्ता (2021) ने युवाओं की भागीदारी का विश्लेषण करते हुए पाया कि स्वरोजगार योजनाएँ तब अधिक प्रभावी होती हैं जब उन्हें तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और व्यावसायिक मार्गदर्शन के साथ जोड़ा जाए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि स्वरोजगार के प्रति युवाओं की मानसिकता अब बदल रही है और वे नौकरी की अपेक्षा उद्यमिता को प्राथमिकता देने लगे हैं।

शर्मा (2019) ने ग्रामीण विकास में वित्तीय समावेशन की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि स्वरोजगार योजनाएँ तब तक प्रभावी नहीं हो सकतीं जब तक कि ग्रामीण गरीब बैंकिंग सुविधाओं और वित्तीय सेवाओं से जुड़े नहीं होते। उनके अनुसार, डिजिटल लेन-देन और बैंकिंग साक्षरता भी इस दिशा में सहायक हो सकती है।

पांडे (2022) ने जनपद स्तर पर स्वरोजगार नीतियों की तुलनात्मक समीक्षा प्रस्तुत करते हुए फ़र्रुखाबाद जैसे पिछड़े जिलों में योजनाओं की पहुँच,

व्यावहारिक उपयोगिता और प्रशासनिक संरचना का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि स्थानीय प्रशासन की सक्रियता योजना की सफलता का आधार बनती है।

यह शोध के दौरान एकत्रित किए गए आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण पर केंद्रित है। कुल 200 उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचनाओं का वर्गीकरण, विश्लेषण और व्याख्या निम्नानुसार की गई है। पहले हम उनके जनसांख्यिकीय विवरण को समझेंगे, तत्पश्चात स्वरोजगार योजनाओं की प्रभावशीलता से संबंधित विभिन्न आयामों का विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे।

शोध पद्धति:

किसी भी सामाजिक शोध में शोध पद्धति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शोध पद्धति वह वैज्ञानिक आधार है, जिसके द्वारा शोधकर्ता अपने अनुसंधान को सुव्यवस्थित, प्रामाणिक और उद्देश्यपरक बनाता है। प्रस्तुत अध्याय में अध्ययन की प्रकृति, क्षेत्र, नमूना, डेटा संग्रहण की प्रक्रिया एवं उपकरणों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है।

1. शोध की प्रकृति: यह शोध कार्य एक वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का मात्रात्मक अध्ययन है, जिसका उद्देश्य फर्रुखाबाद जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित स्वरोजगार योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है। अध्ययन में उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण किया गया है।

2. अध्ययन क्षेत्र: यह अध्ययन उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जनपद के चयनित ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है। फर्रुखाबाद जनपद एक कृषि प्रधान जनपद है, जहाँ ग्रामीण बेरोजगारी एवं आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या विशेष रूप से देखी जाती है। इसलिए इस क्षेत्र

का चयन उद्देश्यपूर्ण रहा, ताकि स्वरोजगार योजनाओं के स्थानीय प्रभाव को परखा जा सके।

3. नमूना एवं नमूना चयन विधि: इस अध्ययन के अंतर्गत 200 लाभार्थियों का चयन किया गया। नमूना चयन के लिए सरल यादृच्छिक नमूना विधि का उपयोग किया गया, जिससे सभी पात्र लाभार्थियों को उत्तरदाता बनने का समान अवसर प्राप्त हो।

नमूना इस प्रकार सुनिश्चित किया गया कि उसमें विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी, आयु वर्ग, सामाजिक वर्ग, शिक्षा स्तर एवं लिंग आधारित विविधता परिलक्षित हो।

4. डेटा संग्रहण की प्रक्रिया: शोध में दोनों प्रकार के आँकड़ों—प्राथमिक एवं द्वितीयक—का प्रयोग किया गया है:

■ **प्राथमिक डेटा:** प्राथमिक आंकड़े अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किए गए। इसके लिए संरचित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया। प्रश्नावली को हिंदी में तैयार किया गया ताकि ग्रामीण उत्तरदाता सहजता से उत्तर दे सकें। प्रश्नावली के खंड:

- सामाजिक-व्यक्तिगत जानकारी (आयु, लिंग, जाति, शिक्षा)
- योजना की जानकारी और पहुँच
- प्रशिक्षण की उपलब्धता
- योजना से आय में परिवर्तन
- लाभ एवं कठिनाइयाँ

■ **द्वितीयक डेटा:** द्वितीयक जानकारी विभिन्न सरकारी रिपोर्टों, अनुसंधान पत्रिकाओं, पुस्तकों, नीति दस्तावेजों, जनगणना रिपोर्टों आदि से संकलित की गई। इनसे शोध को सैद्धांतिक आधार एवं परिप्रेक्ष्य प्राप्त हुआ।

5. डेटा संग्रहण के उपकरण: डेटा संग्रहण हेतु निम्नलिखित उपकरणों का प्रयोग किया गया:

1. **संरचित प्रश्नावली:** यह मुख्य उपकरण था जिसमें बहुविकल्पीय एवं वर्णनात्मक प्रश्न सम्मिलित थे।
2. **साक्षात्कार अनुसूची:** उत्तरदाताओं की गहन राय एवं अनुभव जानने हेतु उपयोग में लाया गया।

परिणाम एवं चर्चा: इस शोध में एकत्रित आँकड़ों का विश्लेषण और उनका विवेचन प्रस्तुत किया गया है। उत्तरदाताओं से प्राप्त सूचनाओं को सारणीबद्ध कर, उनके माध्यम से स्वरोजगार योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया है। इस शोध में आँकड़ों के साथ-साथ सामाजिक व्याख्या का समावेश भी किया गया है।

1. **जनसांख्यिकीय विश्लेषण:** शोध में शामिल प्रतिभागियों को आयु, लिंग, शिक्षा स्तर, आय स्तर, एवं सामाजिक वर्ग के आधार पर वर्गीकृत किया गया। नीचे तालिका में उत्तरदाताओं का आयु वर्ग आधारित वितरण दिया गया है:

तालिका 1: लाभार्थियों का आयु वर्ग अनुसार वितरण

आयु वर्ग	प्रतिशत (%)
18-25	20%
26-35	35%
36-45	30%
46-60	15%




चित्र – 1: लाभार्थियों का आयु वर्ग अनुसार वितरण

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि स्वरोजगार योजनाओं में भाग लेने वाले लाभार्थियों में सबसे अधिक संख्या 26-35 वर्ष आयु वर्ग की है (35%), जो यह दर्शाता है कि यह आयु समूह स्वरोजगार के प्रति सबसे अधिक जागरूक और सक्रिय है। 36-45 वर्ष के लाभार्थी भी 30% के साथ अच्छी भागीदारी निभा रहे हैं। वहीं, 18-25 वर्ष के युवा अपेक्षाकृत कम (20%) सक्रिय दिखाई देते हैं, जो या तो उच्च शिक्षा में संलग्न हैं या योजनाओं के प्रति पर्याप्त जानकारी नहीं रखते। 46-60 वर्ष की आयु के लाभार्थियों की भागीदारी केवल 15% है, जो उनके कार्यशीलता और तकनीकी सीमाओं को दर्शाता है। इससे स्पष्ट होता है कि योजनाओं की पहुँच और प्रभाव सबसे अधिक मध्य आयु वर्ग के लोगों पर है।

तालिका 2: स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी का स्तर

विवरण	उत्तरदाता (संख्या)	प्रतिशत (%)
योजनाओं की पूर्ण जानकारी	80	40%
आंशिक जानकारी	70	35%
कोई जानकारी नहीं	50	25%




चित्र – 2: स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी का स्तर

केवल 40% लाभार्थियों को स्वरोजगार योजनाओं की पूर्ण जानकारी है, जबकि 35% लाभार्थियों को आंशिक जानकारी ही प्राप्त है। चिंताजनक रूप से, 25% लाभार्थी ऐसे भी हैं जिन्हें कोई जानकारी नहीं है। यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना के प्रसार की सीमितता को दर्शाती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि योजनाओं की सफलता के लिए केवल उनके निर्माण और क्रियान्वयन से काम नहीं चलेगा, बल्कि सशक्त जागरूकता अभियान और सूचना पहुँच तंत्र को भी समान रूप से मज़बूत करना आवश्यक है।

तालिका 3: स्वरोजगार योजनाओं से आय में वृद्धि

आय में परिवर्तन	उत्तरदाता (संख्या)	प्रतिशत (%)
आय में स्पष्ट वृद्धि	90	45%
आय में आंशिक वृद्धि	60	30%
कोई परिवर्तन नहीं	50	25%




चित्र – 3: स्वरोजगार योजनाओं से आय में वृद्धि का स्तर

तालिका से यह स्पष्ट होता है कि स्वरोजगार योजनाओं ने लाभार्थियों की आय में सकारात्मक प्रभाव डाला है। कुल लाभार्थियों में से 45% ने आय में स्पष्ट वृद्धि की पुष्टि की है, जबकि 30% ने आंशिक वृद्धि का अनुभव किया है। केवल 25% लाभार्थियों ने बताया कि उनकी आय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह आँकड़े दर्शाते हैं कि अधिकांश लाभार्थियों के जीवन स्तर में योजनाओं के माध्यम से सुधार हुआ है। हालांकि 25% का लाभ न उठा पाना यह संकेत करता है कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, उचित प्रशिक्षण, और संपर्क सुविधा को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

तालिका 4: महिला लाभार्थियों की भागीदारी

विवरण	संख्या	प्रतिशत (%)
महिला लाभार्थियों की संख्या	80	40%
पुरुष लाभार्थी	120	60%




चित्र – 4: स्वरोजगार योजनाओं में महिला लाभार्थियों की भागीदारी

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि स्वरोजगार योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी 40% है, जबकि 60% लाभार्थी पुरुष हैं। यह आँकड़ा दर्शाता है कि महिलाएँ अब आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में सकारात्मक संकेत है। हालांकि पुरुष लाभार्थियों की तुलना में महिला सहभागिता अभी भी कम है, परंतु यह प्रतिशत यह भी इंगित करता है कि योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुँच रहा है। यदि योजनाओं में महिलाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन, प्रशिक्षण और ऋण सुविधाएँ प्रदान की जाएँ, तो यह भागीदारी और भी बढ़ाई जा सकती है, जिससे ग्रामीण महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सामाजिक स्थिति में और सुधार संभव होगा।

तालिका 5: योजना के तहत प्रशिक्षण की सुविधा

प्रशिक्षण की स्थिति	संख्या	प्रतिशत (%)
प्रशिक्षण प्राप्त	110	55%
कोई प्रशिक्षण नहीं	90	45%



चित्र – 5: स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण की सुविधा की स्थिति


यह स्पष्ट होता है कि स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत 55% लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, जबकि 45% लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें कोई प्रशिक्षण नहीं मिला। यह आँकड़ा इस बात को दर्शाता है कि योजनाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण की सुविधा

राजकुमार साहू, डॉ.संजीव कुमार

उपलब्ध तो है, लेकिन अब भी लगभग आधे लाभार्थी इससे वंचित हैं। प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थी योजनाओं का अधिक प्रभावी उपयोग कर पा रहे हैं, जबकि बिना प्रशिक्षण के लाभार्थियों को योजनाओं से अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार, उनकी गुणवत्ता में सुधार तथा सभी पात्र लाभार्थियों तक इसकी पहुँच सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि योजनाओं की प्रभावशीलता अधिकतम हो सके।

तालिका 6: योजनाओं की पारदर्शिता और भ्रष्टाचार अनुभव

अनुभव	संख्या	प्रतिशत (%)
प्रक्रिया पारदर्शी और सरल	100	50%
कुछ भ्रष्टाचार की शिकायत	60	30%
अत्यधिक भ्रष्टाचार और जटिलताएँ	40	20%




चित्र – 6: स्वरोजगार योजनाओं की पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार से संबंधित लाभार्थी अनुभव

तालिका से स्पष्ट है कि 50% लाभार्थियों ने स्वरोजगार योजनाओं की प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बताया है, जबकि 30% ने कुछ भ्रष्टाचार की शिकायत की और 20% लाभार्थियों ने अत्यधिक भ्रष्टाचार एवं जटिल प्रक्रियाओं का अनुभव साझा किया। यह आँकड़ा दर्शाता है कि योजनाएँ सभी तक

पारदर्शी रूप से नहीं पहुँच रही हैं और क्रियान्वयन में प्रशासनिक समस्याएँ अब भी मौजूद हैं। विशेष रूप से जिन लाभार्थियों ने भ्रष्टाचार या कठिन प्रक्रियाओं का सामना किया, उनके लिए योजनाएँ लाभकारी होने के बजाय चुनौतीपूर्ण सिद्ध हुईं। इससे यह स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार-निरोधी तंत्र, निगरानी प्रणाली, और प्रशासनिक सुधार की नितांत आवश्यकता है, ताकि योजनाओं की विश्वसनीयता एवं प्रभावशीलता बनी रह सके।

तालिका 7: युवाओं की योजनाओं में रुचि

आयु वर्ग	योजनाओं में सक्रिय भागीदारी (%)
18-25 वर्ष	25%
26-35 वर्ष	40%
36-45 वर्ष	20%
46 वर्ष से ऊपर	15%



चित्र – 7: विभिन्न आयु वर्गों में स्वरोजगार योजनाओं में युवाओं की सक्रिय भागीदारी

इस तालिका से यह स्पष्ट होता है कि 26-35 वर्ष के आयु वर्ग के युवा स्वरोजगार योजनाओं में सबसे अधिक सक्रिय (40%) हैं, जो यह संकेत देता है कि यह आयु वर्ग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सबसे अधिक प्रयासरत है। 18-25 वर्ष के युवा भी 25% भागीदारी के साथ योजनाओं की ओर आकर्षित हो रहे हैं, परंतु वे या तो शिक्षा में संलग्न हैं या जागरूकता की कमी से पूरी तरह लाभ नहीं उठा पा रहे। 36-45 वर्ष के लोगों की भागीदारी घटकर 20% और 46 वर्ष से ऊपर केवल 15% रह गई है, जो कार्यशीलता और योजना के दायरे की सीमाओं को दर्शाता है। यह आँकड़ा यह सिद्ध करता है कि स्वरोजगार योजनाएँ मुख्यतः युवा वर्ग के लिए प्रेरक हैं और इन्हें यदि युवाओं की रुचि के अनुसार और अधिक प्रासंगिक बनाया जाए तो ग्रामीण उद्यमिता में क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है।

तालिका –8: परिकल्पना 1 का परीक्षण (प्रशिक्षण और आय वृद्धि के मध्य संबंध)

परीक्षण तकनीक	आवश्यक आँकड़े	मानक मूल्य (p-value)	प्राप्त p-value	निर्णय	निष्कर्ष
T-Test (दो समूहों का औसत)	प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों (n=110) बनाम गैर-प्रशिक्षित (n=90)	0.05	0.031	H ₀ अस्वीकृत (Rejected)	योजनाओं से लाभार्थियों की आय में महत्वपूर्ण वृद्धि पाई गई है।

उपरोक्त तालिका में T-Test के माध्यम से यह परखा गया कि क्या प्रशिक्षण प्राप्त करने से लाभार्थियों की आय में कोई महत्वपूर्ण अंतर आता है। परीक्षण का $p\text{-value} = 0.031$ पाया गया, जो कि मानक मान 0.05 से कम है। इसलिए शून्य परिकल्पना (H_0) को अस्वीकृत कर दिया गया और वैकल्पिक परिकल्पना (H_1) को स्वीकार किया गया। इसका अर्थ यह है कि

प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों की आय में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। यह निष्कर्ष दर्शाता है कि प्रशिक्षण योजनाओं की प्रभावशीलता को सुदृढ़ करता है और इससे लाभार्थियों को स्वरोजगार के अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने में सहायता मिलती है। अतः भविष्य में प्रशिक्षण को योजनाओं का अभिन्न अंग बनाना आवश्यक है।

तालिका –9: परिकल्पना 2 का परीक्षण ()

H_0 (शून्य परिकल्पना): स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी और लाभ प्राप्त करने के बीच कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।

परीक्षण तकनीक	आवश्यक आँकड़े	मानक χ^2 मान (Chi-Square)	प्राप्त χ^2 मान	p-value	निर्णय	निष्कर्ष
Chi-Square परीक्षण	योजना की जानकारी (पूर्ण, आंशिक, नहीं) बनाम लाभ की स्थिति	5.99	9.25	0.009	H_0 अस्वीकृत (Rejected)	जानकारी का स्तर और योजना से लाभ प्राप्ति के बीच महत्वपूर्ण संबंध पाया गया है।

इस तालिका में योजना की जानकारी और लाभ प्राप्ति के बीच के संबंध की जांच Chi-Square परीक्षण के माध्यम से की गई। प्राप्त χ^2 मान 9.25 है, जो मानक χ^2 मान 5.99 से अधिक है, और $p\text{-value} = 0.009$ है, जो 0.05 से कम है। इसका अर्थ यह है कि शून्य परिकल्पना (H_0) को अस्वीकृत कर दिया गया तथा यह सिद्ध हुआ कि लाभार्थियों द्वारा योजनाओं के बारे में प्राप्त जानकारी और उन्हें प्राप्त होने वाले लाभ के बीच महत्वपूर्ण सांख्यिकीय संबंध है। यह निष्कर्ष यह इंगित करता है कि जिन लोगों को योजनाओं की पूर्ण जानकारी थी, वे अधिक सफलतापूर्वक योजनाओं का लाभ उठा पाए। अतः स्पष्ट है कि सूचना और

जागरूकता ही योजनाओं की सफलता की कुंजी है, और इसके प्रसार पर विशेष बल देना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

इस अध्ययन के निष्कर्ष स्वरूप यह स्पष्ट होता है कि फर्रुखाबाद जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित स्वरोजगार योजनाएँ जैसे प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मनरेगा, स्वयं सहायता समूह आदि ने ग्रामीण आबादी की आयवृद्धि, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आंकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि योजनाओं के प्रति जागरूकता, प्रशिक्षण की उपलब्धता और सरकारी पारदर्शिता सीधे तौर पर लाभप्राप्ति से सम्बंधित हैं। युवा

वर्ग, विशेषकर 26-35 वर्ष की आयु के लाभार्थियों ने इन योजनाओं में सक्रिय भागीदारी दिखाई है, जबकि महिलाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही है। तथापि, योजनाओं में भ्रष्टाचार, जानकारी की कमी और प्रशिक्षण की सीमित पहुँच जैसे कुछ बाधाएँ अब भी मौजूद हैं, जिन्हें दूर कर योजनाओं की प्रभावशीलता को और सुदृढ़ किया जा सकता है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि इन योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन, पारदर्शिता और जागरूकता अभियान चलाया जाए, तो यह ग्रामीण क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास का सशक्त माध्यम बन सकती हैं।

संदर्भ:

1. मिश्रा, एस. (2021). ग्रामीण विकास में स्वरोजगार योजनाओं की भूमिका: एक विश्लेषण. *भारतीय सामाजिक अनुसंधान पत्रिका*, 65(3), 45-53.
2. वर्मा, आर. (2019). प्रधानमंत्री रोजगार योजना का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव. *ग्रामीण भारत जर्नल*, 12(2), 89-97.
3. सिंह, के. (2020). महिला सशक्तिकरण में स्वरोजगार योजनाओं की प्रभावशीलता. *समाज और विकास*, 8(1), 112-120.
4. यादव, पी. (2022). स्वरोजगार और मनरेगा का ग्रामीण युवाओं पर प्रभाव. *विकास नीति पत्रिका*, 10(4), 33-41.
5. चौहान, डी. (2018). ग्रामीण भारत में स्वरोजगार योजनाओं की चुनौतियाँ. *अर्थशास्त्र समीक्षा*, 22(3), 76-83.
6. तिवारी, एम. (2021). ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण की उपयोगिता. *श्रमिक नीति एवं विकास*, 15(2), 60-67.
7. शुक्ला, आर. (2017). स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से सामाजिक असमानता में कमी. *जनकल्याण शोध पत्रिका*, 6(1), 50-58.
8. गोस्वामी, बी. (2020). ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार की संभावनाएँ और चुनौतियाँ. *नवभारत सामाजिक विज्ञान जर्नल*, 9(3), 44-52.
9. कुमारी, एस. (2019). स्वयं सहायता समूह और महिला उद्यमिता. *भारतीय ग्रामीण अध्ययन जर्नल*, 7(2), 38-46.
10. मिश्रा, वी. (2022). आत्मनिर्भर भारत और स्वरोजगार: एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण. *रोजगार और आजीविका शोध*, 4(1), 71-80.
11. राठौर, पी. (2018). योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक बाधाएँ. *सार्वजनिक प्रशासन समीक्षा*, 13(4), 93-100.
12. त्रिपाठी, एन. (2020). मनरेगा योजना का ग्राम स्तर पर मूल्यांकन. *ग्राम विकास पत्रिका*, 11(1), 55-63.
13. गुप्ता, एल. (2021). स्वरोजगार योजनाओं में युवाओं की भागीदारी का मूल्यांकन. *भारतीय युवा नीति जर्नल*, 3(2), 82-90.
14. शर्मा, जे. (2019). ग्रामीण विकास और वित्तीय समावेशन. *वित्त एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था*, 5(3), 101-109.
15. पांडे, के. (2022). जनपद स्तर पर स्वरोजगार नीतियों की तुलनात्मक समीक्षा. *भारत विकास शोध पत्रिका*, 16(2), 67-74.